

4. सूट.-

(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान(लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी :

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।

(3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

बच्चाव - दो

नवीन रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किया जाना एवं समूह बनाया जाना

5. (1) . रेत खदानों का सीमांकन - कलक्टर, प्रदेश की नदियों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित की जाएगी :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में यथा अपेक्षित इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संशोधन किया जा

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

संयुक्त संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और धारण -
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, मजदारी एवं व्यापार) नियम, 2019 है।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राज्य में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

धार्मिक

अध्याय - एक

नियम

व्यापार) से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

क्यांक:- एक 19-2/2019/आर-1.- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ब, के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 23 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रेल, (खनन परिवहन, मजदारी तथा व्यापार) से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

शीघ्र, दिनांक 30 अप्रैल 2019

मंत्रालय, वरुण भवन, शीघ्र

खनिज संधान विभाग

शीघ्र, मुद्रांक, दिनांक 30 अप्रैल 2019-धार 8, शक 1941

क्यांक 370]

प्रधिकार से प्रकाशित
(असाधारण)

मध्यप्रदेश राजपत्र



सर्वे वेबसाइट www.governmp.in
से भी सार्वजनिक किया जा सकता है।

4/1/19

②